

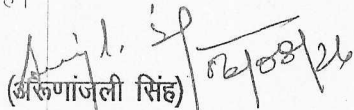
कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मऊ।

सूचना

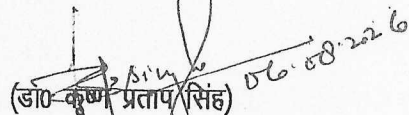
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय मऊ में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विभिन्न ठेकों की नीलामी कार्यवाही का सम्पादन मार्च 2026, दिनांक 18.05.2026 व दिनांक 21.07.2026 में किया गया था। उक्त नीलामी की कार्यवाही में कुछ दुकानों की नीलामी नहीं हो पायी थी। अतः सर्वसाधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 7769 / Admin(B-I) Section, Allahabad Dated July 08, 2026 के प्रेषित पत्र तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 28.07.2026 के अनुपालन में (Circular letter No.797/Admin(B-I), Dated 15.03.1994 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार) इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अवधि (31.03.2027 तक) के लिए जनपद न्यायालय मऊ स्थित 1. झटपट फोटोग्राफर 2. जलपान दुकान न0 1, 3. फोटो स्टेट दुकान न0. 1, 4. फोटो स्टेट दुकान न0. 2, 5. फलशर्बत दुकान न0. 1 6. फलशर्बत दुकान न0. 2 7. पान की दुकान न0. 1 8. स्टेशनरी को **बिड द्वारा** उठाये जाने के सम्बन्ध में **दिनांक 11.08.2026** को 01:00 बजे तक सीलबन्द लिफाफें में निविदा आमंत्रित है तथा **दिनांक 12.08.2026** को सांय 04:30 बजे समागार कक्ष, जनपद न्यायालय मऊ में उपर्युक्त ठेकों की बिड खोली जाएगी। उपर्युक्त कार्यवाही में निविदा प्रस्तुत करने वाले आवेदक स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। उनकी उपस्थिति/अनुपस्थिति में नियमानुसार बिड खोली जाएगी।

1.	झटपट फोटोग्राफर	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित आदेश दिनांक 08.07.2026 में यह आदेशित है कि without prescribing any minimum reserve bid for any of the aforesaid eight shops. उक्त आधार पर न्यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं की जा रही है।
2.	जलपान की दुकान न0. 1,	
3.	फोटो स्टेट दुकान न0.1	
4.	फोटो स्टेट दुकान न0. 2	
5.	पान की दुकान न0. 1	
6.	फलशर्बत दुकान न0. 1	
7.	फलशर्बत दुकान न0. 2	
8.	स्टेशनरी	

लिफाफे खोलने के पश्चात् जिस व्यक्ति द्वारा उच्चतम दर पर दुकानों को लिये जाने की निविदा/ प्रस्ताव दिया गया होगा उसे उक्त दुकान नीलामी में प्राप्त होगी। नीलामी के नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मऊ से प्राप्त की जा सकती हैं।


(अरुणांजली सिंह)

सदस्य, दुकान नीलामी समिति
सिविल जज (सी0डि0) एफ.टी.सी. मऊ।
जनपद न्यायालय-मऊ।


(डॉ०-कृष्ण प्रताप/सिंह)

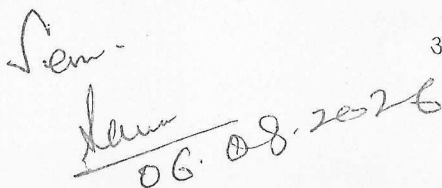
सदस्य, दुकान नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-2
जनपद न्यायालय-मऊ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।

- 1- माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- सूचना अधिकारी को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन कराये जाने हेतु।
- 4- जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
- 5- विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर।
- 6- कलेक्ट्रेट, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 7- तहसील, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 8- जिला पंचायत, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 9- नगर पालिका, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।


(दीपनारायण तिवारी)

अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 2
जनपद न्यायालय-मऊ।


06.08.2026